



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092024-257454
CG-DL-E-24092024-257454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752]
No. 752]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2024/आश्विन 2, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024/ASVINA 2, 1946

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन)
विनियम, 2024

सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.116.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 12 के उप-विनियम (3) में, "उप-विनियम (2)" शब्द अंक और चिह्न के स्थान पर "उप-विनियम (1)" शब्द, अंक और चिह्न रखे जाएंगे।

3. मूल विनियमों के विनियम 16क में,-

(1) उप-विनियम (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह कि प्ररूप गक में, किसी वर्ग में किसी वित्तीय लेनदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी दिवाला व्यावसायिक की पसन्द पर तब विचार नहीं किया जाएगा यदि प्ररूप गक सार्वजनिक घोषणा में अनुबंधित समय के पश्चात् प्राप्त होता है।”

(2) उप-विनियम (2) में,-

(i) “आवेदन करेगा।” शब्द और चिह्न के स्थान पर “आवेदन करेगा:” शब्द और चिह्न रखा जाएगा।

(ii) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह कि जब तक लेनदारों के किसी वर्ग के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, तब तक उप-विनियम (1) के अधीन चयनित दिवाला व्यावसायिक, लेनदारों के ऐसे वर्ग के लिए अंतरिम प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और वह समिति की बैठकों में उपस्थित होने का हकदार होगा और उसके ऐसे अधिकार और कर्तव्य होंगे जो किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के होते हैं।”

4. मूल विनियमों के विनियम 40क की सारणी में,-

(1) विनियम 12(2) से संबंधित पंक्ति का लोप किया जाएगा।

(2) विनियम 13(1) से संबंधित पंक्ति में,-

(i) “क्रियाकलाप का वर्णन” शीर्षक वाले स्तंभ में, “विनियम 12(2) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन” शब्दों, अंकों और चिह्नों का लोप किया जाएगा।

(ii) “अद्यतन समय-सीमा” शीर्षक वाले स्तंभ में, “टी+97” शब्द, अंक और चिह्न का लोप किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./521/2024-25]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 99, तारीख 15 फरवरी, 2024 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.113, तारीख 15 फरवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2024, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2024.

No. IBBI/2024-25/GN/REG116.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 12, in sub-regulation (3), for the words, figure and mark "sub-regulation (2)", the words, figure and mark "sub-regulation (1)" shall be substituted.
3. In the principal regulations, in regulation 16A,
 - (1) in sub-regulation (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -
 "Provided that the choice of an insolvency professional to act as an authorised representative by a financial creditor in a class in Form CA shall not be considered, if the Form CA is received after the time stipulated in the public announcement."
 - (2) in sub-regulation (2),
 - (i) for the word, figure and mark "regulation 12.", the word, figure and mark "regulation 12:" shall be substituted.
 - (ii) the following proviso shall be inserted, namely: -
 "Provided that till the application for appointment of the authorised representative for a class of creditors is under consideration before the Adjudicating Authority, the insolvency professional selected under sub-regulation (1) shall act as an interim representative for such class of creditors, and shall be entitled to attend the meetings of the committee and shall have such rights and duties as that of an authorised representative."
4. In the principal regulations, in regulation 40A, in the Table,
 - (1) The row relating to Regulation 12(2), shall be omitted.
 - (2) In the row relating to Regulation 13(1),
 - (i) in column titled 'Description of Activity', the words, figures and marks "Verification of claims received under regulation 12(2)" shall be omitted.
 - (ii) in column titled 'Latest Timeline', the word, figure and mark "T+97" shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson
[ADVT.-III/4/Ext./521/2024-25]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2024 published vide notification No. IBBI/2023-24/GN/REG113, dated the 15th February, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 99 on 15th February, 2024.